

गो.ग. (१५)

गो.ग. (१५)


HOSPITAL

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

जनरल रुग्ण सिविल रुग्ण 129 अपेन्डेचर फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उपलब्ध अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

गो.ग. 7/3/16
28/1/18
15/2/17
21/5/17
17/7/17
20/9/17
29/11/17
6/3/18
28/5/18

जे.एम. मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारिख वायदा 3	तारिख फीसला 4	फीसला क्रमांक 5
कारवाज S3-88 188 R1A	34/16	26/16	 01-06-2018 डी.के. योवाल	
11/45 212 R.M				

अन्वयान

श्री. काहापुर सिंह कॉपी देवी सिंह राजपूर वाईप
 (6) राजूर (2)
 निवासी बलामठा निवासी बलामठा

D.K. योवाल
 अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

Aop ! 45
 अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त
 9. 3 Et

डिक्रीदार

रेस्पाडेंट / मदयूनान

श्री.....श्री.....

फर्द अहकाम (नियम 26)

महकम

जामातल प उखणु अधिकारी क काम माण्डलगढ़

वलापुर विठे बनाम देवी उहे

212

नं. 34 सन् 2016

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

अध्यास्थिति बनाये रखने हेतु अध्यास्थिति
निवेधाज्ञा में पाबन्द उमे 117 9)
निवेदन उभा गला,
अन व्याय हीट में आर्कीगण क)
आर्कीगण पत्र आंगगाण धारा 212 RTI
के तहत एकीका उभा जावर छाग
माण्डला में स्थित आण नं 1063, 1064,
1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080
कुल उभा 8 रकवा 11 बीघा 5 बिस्वा
इस में विपकीगण की इस आकाय उ
अध्यास्थिति निवेधाज्ञा में पाबन्द उभा
जाता है कि विपकीगण मूलवाद के
बिस्वाण नक राजस्व रेवार्ड स्व मोक
कि अध्यास्थिति बनाये रखेंगे 1. आणग
मूलवाद के साथ संलग्न हों
अध्यास्थिति - कुल मूलका देका रकवा उ
कुम हों

उपलब्ध अधिकारी
माण्डलगढ़